निर्णय वइजलास श्री रामावतार मीना आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 239/2017 दावा
दायरा दिनांक :– 11.10.2017
निर्णय दिनांक :– 29-10-18

उनवान

1. भेरी बाई पुत्री माधो पत्नी रामकिशन जाति माली निवासी बिलेण्डी हाल निवासी लालपुरा सारोलाकला तहसील खानपुर जिला झालावाड़।
2. पार्वतीबाई पत्नी स्वर्गीय रामकिशन जाति माली निवासी बिलेण्डी हाल निवासी सारोलाकला तहसील खानपुर जिला झालावाड़।

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. गीताबाई पुत्री रामनारायण पत्नी सत्यनारायण जाति माली निवासी कनोटिया तहसील अटरू जिला बारां।
3. धन्नीबाई पत्नी रामनारायण जाति माली निवासी कनोटिया तहसील अटरू जिला बारां।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद
5. भूमि आवाप्ति अधिकारी परवन वृहत सिचाई परियोजना झालावाड़।

प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक :– 29-10-18

अभिभाषक प्राार्थी (अप्रार्थी) द्वारा प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. इस आशय का पेश किया कि वादीगण द्वारा वाद पत्र की मद् नंबर 9 मे वाद कारण दर्ज किया गया है। उक्त दिनांक 15.09.2017 को कोई वाद कारण वादीगण को उत्पन्न नही हुआ, और न ही वादीगण उक्त तिथि को प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से मिले, वादीगण ने केवल मनगढन्त तथ्यो के आधार पर वाद कारण दर्ज किया है। उक्त वाद कारण के आधार पर वादीगण का वाद काबिले निरस्तनीय है। प्रार्थी (अप्रार्थी) द्वारा प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर वादी का वाद प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न नही होने के कारण वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी (प्रार्थी) द्वारा प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश किया गया। जवाब के विशेष कथन मे बताया कि प्रतिवादीगण द्वारा कतई झूठे व आधारहीन तथ्यो पर उपरोक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी रिकार्ड पेश नही किया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना–पत्र खारिज होने योग्य है। वाद पत्र की मद नंबर 2 मे वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण/वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात है, जिसमे वादीगण का पैदा होने के पश्चात् हक अधिकार हासिल है। ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

बाबूलाल गीताबाई धन्नीबाई पार्वतीबाई

Scanned by CamScanner

ना–पत्र खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रकरण मे निश्चित समय अवधी मे जवाब दावा प्रस्तुत नही किये है, जब तक प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा नही दिया जाता, तब तक प्रतिवादीगण को कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने को कोई अधिकारी नही है। अप्रार्थी (प्रार्थी) द्वारा प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस प्रार्थना–पत्र अभिभाषक उभयपक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी (अप्रार्थी) का कथन है, कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र असत्य व मिथ्या तथ्यो पर आधारित है। और दुर्भावना से प्रस्तुत किया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नही है, और आर्डर 7 नियम 11 के तहत् खारिज होने योग्य है। वादीगण द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया है, उसका कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। और बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुये वाद पेश किया गया है, जो उचित वाद कारण के अभाव मे ऑर्डर 7 नियम 11 सीपीसी के तहत् खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता के पक्ष मे जो नामान्तकरण खोला गया था, वह नामान्तकरण संख्या 76 वर्ष 2001 मे खोला गया था, और जिसकी वादनीगण को पूरी–पूरी जानकारी थी, जिससे यदि वादनीगण व्यथित थी, तो उसी समय वादनीगण को उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे अपील पेश करना चाहिये था, जो उनके द्वारा प्रस्तुत नही की गई, और इतने लम्बे अर्से के उपरान्त जो वाद प्रस्तुत किया गया है, वह अवधि बाधित है, इसलिए वादनीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि बाधित होने से ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत् खारिज होने योग्य है। जिसके पक्ष मे उक्त नामान्तकरण दर्ज हुआ था, उसकी मृत्यु हो चुकी है, और उसके जीवन काल मे भी इस प्रकार का कोई दावा वादनीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया और, अब बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुये प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को पक्षकार बनाते हुये वाद पेश किया है, जो कानूनी प्रावधानो के विपरित होने से ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत् खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 उक्त आराजी के खातेदार है, और उन्हे अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाते हुये जो वाद पेश किया गया है, वह कानूनन मेन्टेनेवल नही है। वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी क्रम 2 पार्वती बाई माधोलाल के पुत्र रामकिशन की पत्नी थी। रामकिशन माधोलाल के जीवनकाल मे ही फोत हो गया था। प्रतिवादी क्रम 2 पार्वतीबाई रामकिशन की मृत्यु के बाद नाते चली गई थी। उसका उक्त विवादित आराजी मे हिस्सा लेने का कोई अधिकार नही है। पार्वती बाई अपने मौजूदा पति की जायदाद मे हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। वादीगण द्वारा रामकिशन की मृत्यु कब हुई, उनकी मृत्यु का प्रमाण–पत्र पेश नही किया है। माधोलाल व रामनारायण के फोत होने पर जो नामान्तकरण खोले गये, उसकी अपील करनी चाहिये थी, जो वादीगण द्वारा नही की है। वादीगण द्वारा माधोलाल की मृत्यु के बाद रामनारायण के नाम उक्त आराजीयात दर्ज की गई तथा रामनारायण के जीवन काल मे वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत क्यो नही किया। रामनारायण फोत हो चुका है। विवादित आराजी रामनारायण के खातेदारी मे दर्ज है। पक्षकार बाबूलाल व गीताबाई को बनाया गया है। बाबूलाल व गीताबाई के खातेदारी का कोई रिकार्ड पेश नही किया है। वादी का वाद मेन्टेनेवल नही होने से प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना–पत्र के दौरान वकील अप्रार्थी (प्रार्थी) का कथन है, कि प्रतिवादी क्रम 2 पार्वतीबाई नाते चली गई तो प्रार्थी (अप्रार्थी) द्वारा नाते चले जाने का कोई रिकार्ड पेश नही किया। इससे यह स्पष्ट नही है, कि पार्वती बाई नाते चली गई है। विवादित आराजी पुश्तैनी है, तो वादीगण का

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

कीर जन्म से है। विवादित भूमि डूब क्षैत्र मे जाने पर नोटिस प्राप्त नही होने के कारण पटवारी से पूछा जब पता चलने पर वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा दावा धारा 5 लिमिटेशन के तहत अन्दर मियाद पेश किया गया है। वाद कारण उत्पन्न नही हुआ, यह प्रतिवादी कैसे कह सकते है। वादीगण द्वारा दावा 2017 मे पेश किया है। प्रतिवादीगण को 30 दिन के अन्दर जवाब पेश करना चाहिये था, जो पेश नही किया है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नही कर देते, तब तक किसी प्रकार का कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही कर सकते। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 नियम 11 कतई झूठे व आधारहीन तथ्यो के आधार पर पेश किया है। प्रतिवादीगण द्वारा नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत करने को कहा, नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नही है। मैने खातेदारी एवं बटवारे का दावा पेश किया है। पुश्तैनी जायदाद मे मेरा जन्म से हक निहित है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 7 नियम 11 तथ्यहीन होने से खारिज किया जावे।

बहस प्रार्थना–पत्र अभिभाषक उभयपक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम अचलपुरा सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 27 के अनुसार रामनारायण पुत्र माधोलाल जाति माली सा. देह बिलेण्डी का नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम अचलपुरा सम्वत् 2055–58 खाता संख्या 20 मे माधोलाल वल्द नन्दा कौम माली सा.देह बिलेण्डी दर्ज है। नकल नामान्तकरण संख्या 76 ग्राम अचलपुरा के अनुसार मृतक माधोलाल के स्थान पर रामनारायण पुत्र माधोलाल कौम माली सा.देह बिलेण्डी दर्ज हुआ। नकल नामान्तकरण संख्या 106 ग्राम अचलपुरा मृतक रामनारायण द्वारा अपने खाते की आराजी मे से 2 बीघा भूमि का बेचान ग्यारसीबाई पत्नी रामलाल , कैलाबाई पत्नी रामकिशन, बद्रीबाई पत्नी ओंकारलाल, कंचनबाई पत्नी रामदयाल कौम चमार सा. बिलेण्डी को किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड व अभिभाषकगण की बहस से यह तथ्य सामने आते है, कि वादीगण द्वारा जो वादपत्र प्रस्तुत किया गया है, वह मियादवार है तथा वादीगण को मृतक माधोलाल व रामनारायण के फोती इन्तकाल की अपील सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करनी चाहिये थी, जो वादी द्वारा नही की गई है। वादी द्वारा खातेदारी एवं बटवारे का दावा प्रस्तुत किया है। मृतक माधोलाल व रामनारायण के फोत होने का कोई मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नही किया, जिससे उनकी मृत्यु का कोई अन्दाजा नही लगाया जा सकता। माधोलाल के पुत्र रामकिशन की पत्नी प्रतिवादी क्रम 2 पार्वतीबाई द्वारा एवं भैरी बाई द्वारा माधोलाल के मरने के बाद रामनारायण के जीवनकाल मे ही अपना हिस्सा प्राप्त करने का कोई वाद प्रस्तुत नही किया। रामकिशन फोत होना बताया है। रामकिशन की मृत्यु कब हुई, मृत्यु प्रमाण–पत्र पेश नही किया गया। पार्वती बाई नाते जाना बताया है। पार्वतीबाई का इस विवादित आराजी मे कोई हिस्सा प्राप्त करने की कोई अधिकारी नही है। वर्तमान पति की जायदाद मे अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। वादीगण द्वारा वादकारण उत्पन्न नही होने के बावजूद भी वाद कारण उत्पन्न होना बताया है। वादी द्वारा रामनारायण के खाते की नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है, जबकि दावा बाबूलाल गीताबाई के विरूद्ध किया है। बाबूलाल व गीताबाई के खाते की जमाबन्दी प्रस्तुत नही की गई है। प्रस्तुत नकल नामान्तकरण संख्या 76 ग्राम अचलपुरा के अनुसार मृतक माधोलाल का फोती इन्तकाल 27.11.2001 को खोला जाकर तस्दीक किया गया है। वर्ष 2001 के बाद अक्टूम्बर 2017 मे वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि वादीगण को माधोलाल के फोती इन्तकाल की अपील सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करनी चाहिये थी। वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते की नकले पेश नहीं करने , माधोलाल व रामनारायण के फोती इन्तकाल की अपील नहीं करने, दावा मियाद बहार होने के कारण, प्रतिवादी क्रम 2 पार्वतीबाई नाते चले जाने के कारण,

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

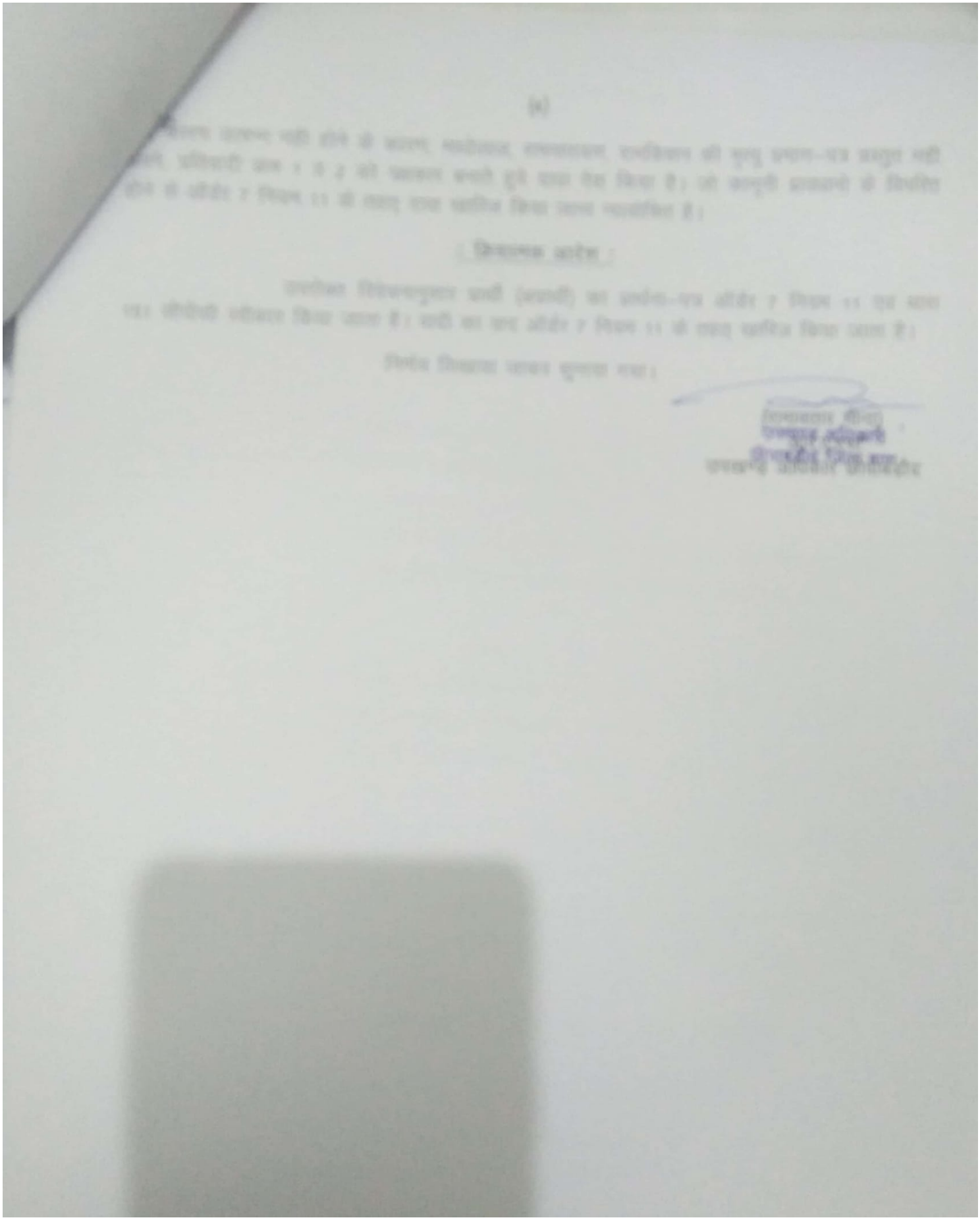

[illegible] उपलब्ध नहीं होने के कारण, [illegible] की मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं [illegible], प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को पक्षकार बनाते हुये दावा पेश किया है। जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से आदेश 7 नियम 11 के तहत् दावा खारिज किया जाना न्यायोचित है।

: निर्णयात्मक आदेश :

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी (अप्रार्थी) का प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। वादी का दावा आदेश 7 नियम 11 के तहत् खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखवाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible] मीणा
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी [illegible]

Scanned by CamScanner